न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 35/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
1. श्री थावरा पुत्र श्री तेजाजी जाति गमेती भील निवासी फुलाबाईखेडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सहायक वन संरक्षक वन्य जीव आबूपर्वत

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :
1. श्री धन्नाराम रेबारी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव आबू तलहटी रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 17.10.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत सहायक वन संरक्षक वन्य जीव आबूपर्वत द्वारा उनके मुकदमा संख्या 01/2005 में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2017 के विरूद्ध दिनांक 20.02.2018 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री धन्नाराम रेबारी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि सहायक वन संरक्षक वन्य जीव आबूपर्वत द्वारा मौजा फुलाबाईखेडा पटवार हल्का काछौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नम्बर 04 रकबा 2.00 बीघा पर अपीलार्थी का अवैध कब्जा मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे अनुपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को गैर हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये, जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है। यह भी है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी को अतिक्रमी माना जा सके। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। यह [illegible] फुलाबाईखेडा के खसरा संख्या 04, जो एक बहुत बडा चक है, जिसमें प्रार्थी अपने बाप दादा के समय से बने केलुपोश मकान में निवास कर खेती करता आ रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

तथा उक्त भूमि पर हमेशा की भांति आज तक गेहूं व अरण्डी फसल करता आ रहा है, जिसकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच नहीं करते हुए किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं लिया है। केवल मात्र अपूर्ण रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। यह है कि अपीलार्थी का उक्त विवादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिससे अपीलांट राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के सन्दर्भ में दिनांक 29.04.2008 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन–निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 आ जाने के कारण अधिनियम के अन्तर्गत भूमि को नियमन करवाने का अधिकारी है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था, लेकिन इन सभी तथ्यों को गौर नहीं करते हुए उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। यह है कि उक्त विवादग्रस्त खसरा संख्या 04 के पास में ही अपीलांट की लगती हुई भूमि खसरा संख्या 245 है, जो अपीलांट को आवंटन हुई थी एवं अपीलांट खसरा संख्या 245 पर ही काबिज है, परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा उसे खसरा संख्या 04 पर अतिक्रमी बताकर अधीनस्थ न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की जांच किए बगैर उक्त आदेश पारित किया गया है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव आबू तलहटी द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि राजकीय भूमि/वनभूमि है, जिस पर अपीलांट द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है। यह है कि राजस्व रेकर्ड में उ[illegible] संख्या 04 का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 149 बीघा एवं 16 बिस्वा वन विभाग के नाम [illegible] वन भूमि के उक्त खसरा संख्या 4 की 2.00 बीघा भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हुं कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन वन दर्ज है। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2062 मे अतिक्रमण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी। उक्त नोटिस अपीलांट को तारीख पेशी से पूर्व तामिल कराया गया था। तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद है एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी अपीलांट उपस्थित बताया गया है, जिसमें अपीलांट स्वयं ने अंगूठा निशानी लगाई हुई है। अतः अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वनपाल नाका नितौडा की रिपोर्ट, जिस पर पटवार हल्का काछौली के हस्ताक्षर है, के आधार पर अपीलांट द्वारा मौजा फुलाबाईखेडा पटवार हल्का काछौली के खसरा संख्या 04 रकबा 2.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन वन पर अपीलांट ने अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। यह है कि मौका पंचनामा रिपोर्ट दिनांक 11.11.2005 में यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा वनखण्ड फुलाबाईखेडा के उत्तर पूर्व की ओर धनारी बांध की माईनर के पास राजस्व खसरा संख्या 04 में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिस पर दो गवाहों के द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त खसरा संख्या 04 का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 149 बीघा एवं 16 बिस्वा है, जो राजस्व अभिलेख में वन विभाग के नामे दर्ज है एवं अपीलांट अधिवक्ता स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मौजा फुलाबाईखेडा के खसरा संख्या 04, जो एक बहुत बडा चक है, जिसमें प्रार्थी अपने बाप दादा के समय से बने केलुपोश मकान में निवास कर खेती करता आ रहा है तथा उक्त भूमि पर हमेशा की भांति आज तक गेहूं व अरण्डी फसल करता आ रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त विवादग्रस्त खसरा संख्या 04 की ही भूमि पर कब्जा कर रखा है। यह है कि दिनांक 15.07.2016 को समस्त ग्रामवासी फुलाबाई खेडा के द्वारा [illegible]क्षक को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें भी यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त विवादग्रस्त खसरा संख्या 04 की भूमि अपीलार्थी द्वारा कब्जा किया जाकर एवं अवैध रूप से अनाधिकृत घास बीड को बर्बाद किया जा रहा है। इसके पश्चात पटवारी हल्का काछौली व अन्य के द्वारा दिनांक 12.07.2017 को बनाई गई मौका फर्द रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

किया हुआ है कि अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 04, जो कि आरक्षित वन भूमि है इसमें वन भूमि का रकबा 2.00 बीघा (0.5 हेक्टेयर) भूमि पर कच्चा मकान एवं अवैध काश्त किया हुआ है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादग्रस्त खसरा संख्या 04 के पास में ही अपीलांट की लगती हुई भूमि खसरा संख्या 245 है, जो अपीलांट को आवंटन हुई थी एवं अपीलांट खसरा संख्या 245 पर ही काबिज है, परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा उसे खसरा संख्या 04 पर अतिक्रमी बताकर अधीनस्थ न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित करता हो कि अपीलार्थी द्वारा उक्त विवादग्रस्त खसरा संख्या 04 पर कब्जा काश्त नहीं कर उसके पास के लगते खसरा संख्या 245 पर काश्त किया जा रहा है। यह है कि अपीलार्थी अधिवक्ता स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं बहस में किए गए कथनों में भी यह स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी अपने बाप दादा के समय से खसरा संख्या 04 पर कब्जा काश्त करते हुए आ रहा है। चूंकि उक्त विवादग्रस्त खसरा संख्या 04 राजस्व अभिलेख में वन विभाग के नाम दर्ज है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध काश्त कर वन विभाग की भूमि का गैर वानिकी कार्य किया जा रहा है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:34:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner